बिहार सरकार
वित्त विभाग
अ धि सू च ना

सं०-एम-4-48/2012(खंड-I)......4733......./वि०, पटना दिनांक- 25-6-18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xx)(क) के वर्त्तमान प्रावधान के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

" परन्तु कार्यहित में आवश्यकतानुसार 50,000/- रूपये तक की खरीद GeM Portal से बाहर के आपूर्त्तिकर्त्ता से किये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I).....4733...../वि० पटना, दिनांक..25.6.18

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)....4733..../वि० पटना, दिनांक.....25.6.18

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012(खंड-I)....4733..../वि० पटना, दिनांक...25.6.18

प्रतिलिपिः-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)